

From

Deputy Commissioner,
Rohtak

To

Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.

No.

2906

/SK dated 22/10/2024

Subject:

OA No. 666/2023-Rakesh Bhardwaj Vs. State of Haryana and
others.

Reference on the above cited subject, Shri Dalbir Singh, HCS, Sub Divisional
Officer(Civil), Meham is hereby deputed to attend the hearing in above case fixed for
23/10/2024.


Deputy Commissioner,
Rohtak

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 666/2023

In the matter of :

RAKESH BHARDWAJ

.... Applicant

VERSUS

STATE OF HARYANA & ORS.

.... Respondent

**STATUS REPORT ON BEHALF OF DEPUTY COMMISSIONER
ROHTAK IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 25.09.2024**

INDEX

Sr. No.	Particular	Remarks
1	Report of Sub Divisional Magistrate Meham dated 18/10/2024	Annexure R-1.

Date: 22.10.2024
Place: Rohtak

Deputy Commissioner,
Rohtak



BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 666/2023

In the matter of :

RAKESH BHARDWAJ

.... Applicant

VERSUS

STATE OF HARYANA & ORS.

.... Respondent

**STATUS REPORT ON BEHALF OF DEPUTY COMMISSIONER
ROHTAK IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.09.2024**

Most Respectfully Showeth

1. That vide order dated 03.09.2024, this Hon'ble Tribunal has ordered that "7. *Stand taken by Deputy Commissioner shows that in 1909, land in question was pond/Johad/talab but subsequently there is some change in the revenue entry. In what manner and how the change has been made in revenue record is a matter required to be investigated by Deputy Commissioner for which he had sought time vide reply dated 12.03.2024.*
8. *Now more than five months have passed since the said request was made but no further reply has been received from Deputy Commissioner Rohtak with regard to above enquiry and status of the land in question.*
9. *We accordingly direct Deputy Commissioner to submit a current status report with regard to land in question in the light of the enquiry, if any, made by it within two weeks and shall also appear before Tribunal through video conferencing on next*



date to assist the Tribunal to decide the issue in question without any further delay".

2. That in above matter, on the basis of detailed report submitted by Sub Divisional Magistrate Meham on date 18-10-2024, it has been ascertained that as per concerned revenue record, the Khasra No. 584/1, 584/3 are private land since 1909 and it is not a common purpose land as per the Punjab Village Common Lands Act, 1961. The report dated 18-10-2024 of Sub Divisional Magistrate Meham is attached as **Annexure R-1**.

In view of facts and circumstances mentioned herein above, it is prayed that present reply be taken on record. It is undertaken to comply with further directions passed by this Hon'ble Tribunal.


Deputy Commissioner
Rohtak

Date: 22-10-2024

Place: Rohtak

प्रेषक उपमण्डल अधिकारी (ना0),
महम।

सेवा में उपायुक्त महोदय,
रोहतक।

कमांक 802 / स्टैनो दिनांक 18/10/24

विषय:- Compliance of NGT order dated 03-09-2024 regarding in OA No. 666/2023 titled as Rakesh Bhardwaj Vs state of Haryana.

यादि आपके कार्यालय के पत्र कमांक 2491/एस0के0 दिनांक 09.09.2024 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त जॉच के सन्दर्भ में आपके आदेशों की पालना में साथ सलंगन हरियाणा राज्य प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक के पत्र कमांक HSPCB/ROH/2024/387-389 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अघोहस्ताक्षरी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त विषयवर्णित जॉच के सन्दर्भ में वादी व राजस्व रिकार्ड मौजा महम मुतनाजा भूमि के मालकान और उपायुक्त कार्यालय की सदर शाखा में तैनात कर्मचारी को मय रिकार्ड दिनांक 11.10.2024 को जारी नोटिस द्वारा दिनांक 15.10.2024 को अघोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर होने बारे लिखा गया था। जिसमें वादी राकेश भारद्वाज निवासी महम व राजस्व रिकार्ड मौजा महम खसरा नं0 584 मे दर्ज मालकान हिस्सेदार दिनेश गुप्ता पुत्र श्री सत्यदेव गुप्ता निवासी महम , श्रीमती अंगुरी पत्नी सुरजभान निवासी गाँव सीमान मार्फत पति सुरजभान, श्रीमती सावित्री पत्नी राजेश कुमार निवासी गाँव भैणी चन्द्रपाल मार्फत पति राजेश कुमार तथा उपायुक्त कार्यालय रोहतक की शाखा से सदर पटवारी श्री कृष्ण कुमार मय रिकार्ड हाजिर आये। हाजिर व्यक्तियों के कमानुसार ब्यान हलफिया निम्न है:-

सशपथ वादी राकेश भारद्वाज ने अपने ब्यान में लिखा है कि उसके द्वारा NGT में जो ब्यान दिये गये है वही मेरे ब्यान समझे जाये।

सशपथ राजस्व रिकार्ड खसरा नं0 584 में दर्ज हिस्सेदार मालकान श्री दिनेश गुप्ता निवासी महम ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि मेरे व मेरे परिवार की दादा लाही नाम है। इस जमीन के कुछ हिस्से में पहले खेती भी की है। कुछ हमारे परिवार के हिस्सेदारों ने अपना हिस्सा सावित्री पत्नी राजेश व अंगुरी पत्नी सुरजभान आदि को बेच भी दिया है और बची हुई भूमि जो हमारे नाम पर है। उस पर हमारा पूर्णतया कब्जा है। इस जमीन में कभी भी तालाब नहीं रहा। सडक ऊँची होने के कारण बरसात में पानी जरूर इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोगो ने सडक के साथ समरसीबल लगाकर नाजायज तरिके से हमारी जमीन में पानी भरने की कौशिश


Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

की है और कभी-कभी कमेटी के नालों का पानी भी आ जाता है। हमने कमेटी को भी लिखा है कि उस पानी को रोका जाए।

सशपथ श्रीमती अंगुरी पत्नी सुरजभान गॉव सीमान मार्फत पति सुरजभान ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 5 मरले जमीन मेरी पत्नी अंगुरी के नाम वर्ष 2011 में खरीदी थी। मैं पहले से ही इस भूमि पर कई वर्षों से खेती कर रहा था। अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ने के कारण रिहायसी क्षेत्र में आ गई है। दिनांक 09.05.2023 को रिहायसी प्लॉट की मु0 23432/- रू0 की फीस जमा करा दी गई है। (रसीद की प्रति साथ सलग्न है) नगरपालिका का शुल्क भरने के पश्चात हमने उक्त जमीन में मिट्टी डालकर भरत कर लिया है। नगरपालिका महम ने इसके साथ शिविर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

सशपथ श्रीमती सावित्री पत्नी राजेश कुमार गॉव भेणी चन्द्रपाल मार्फत पति राजेश कुमार ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 17 मरले मेरी पत्नी सावित्री के नाम खरीदी हुई है। मैं पहले से इस भूमि पर कई वर्षों से खेती कर रहा था। अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ने के कारण रिहायसी क्षेत्र में आ गया है। दिनांक 09.05.2023 को रिहायसी प्लॉट की मु0 31523/-रू0 की फीस जमा करा दी गई है। (रसीद की प्रति साथ सलग्न है) नगरपालिका का शुल्क भरने के पश्चात हमने उक्त भूमि में मिट्टी डालकर भरत कर लिया है। नगरपालिका महम ने इसके साथ शिविर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

सशपथ श्री कृष्ण कुमार सदर पटवारी रिकार्ड रूम शाखा उपायुक्त कार्यालय रोहतक ने ब्यान किया कि मुतनाजा भूमि खसरा नं0 522 व 584 बारे राजस्व रिकार्ड स्कीम इस्तेमाल मौजा महम में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।

उक्त केस से सम्बन्धित मुतनाजा खसरा नं0 584 मौजा महम की मौका निरीक्षण रिपोर्ट हल्का पटवारी /कानूनगों से ली गई। उनकी रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले में से पूर्व दिशा में 1 कनाल 9 मरले खाली भूमि है व पश्चिम दिशा में 1 कनाल 1 मरला में पक्की ईंटों का रास्ता बना हुआ है तथा मध्य में 10 कनाल 0 मरला भूमि का एरिया सडक से गहरा होने के कारण पानी भरा हुआ है। खसरा नं0 584/3 रकबा 0-19 जो नीजि मालकान की भूमि है, जो कि खाली है। खसरा नं0 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन पक्की सडक बनी हुई है। जिसकी मलकियत राजस्व रिकार्ड अनुसार हरियाणा सरकार व गिरदावरी मकबूजा महकमा P.W.D B&R के नाम दर्ज है।

उक्त जॉच के सन्दर्भ में तहसीलदार महम व हल्का पटवारी /कानूनगों को मय राजस्व रिकार्ड कार्यालय में तलब किया गया तथा राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त राजस्व रिकार्ड मौजा महम जमाबन्दी वर्ष 1909 खसरा



Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

नं० 926 मिन/3978 मिन साबका व हाल खसरा नं० 2124 कुल रकबा 5-9 जिसमें से बंजर कदीम 1-10, गैर मुमकिन कब्रिस्तान 2-3, गैर मुमकिन जोड़ी 1-16 व खसरा नं० 602/2472 साबका व हाल खसरा नं० 1094 कुल रकबा 2-1 गैर मुमकिन कब्रिस्तान किते 2 बकदर रकबा 7-10 दर्ज है। इसके बाद जमाबन्दी वर्ष 1952-53 में खसरा नं० 1094 रकबा 2-1 गैर मुमकिन कब्रिस्तान व खसरा नं० 2124 कुल रकबा 5-9 जिसमें से 1-10 बंजर कदीम, 3-19 गैर मुमकिन कब्रिस्तान किते 2 बकदर रकबा 7-10 दर्ज है। इसके पश्चात मिशल हैकियत मौजा महम वर्ष 1976-77 पिछला बन्दोबस्ती खसरा नं० 1094, 2124 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नं० 522 कुल रकबा 21 कनाल 6 मरले जिसमें से गैर मुमकिन कब्रिस्तान 13 कनाल 13 मरले, गैर मुमकिन जोड़ी 7 कनाल 13 मरले तथा पिछला बन्दोबस्ती खसरा नं० 2124 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नं० 584 कुल रकबा 16 कनाल 8 मरले गैर मुमकिन कब्रिस्तान किते 2 रकबा 37 कनाल 14 मरले दर्ज है। खसरा गिरदावरी रजिस्टर वर्ष फसल खरीफ 1976 ता फसल रबी वर्ष 1980 खसरा नं० 584 रकबा 16 कनाल 8 मरले का कुछ रकबा किस्म काश्ता व कुछ रकबा खाली दर्शाया गया है (जिसकी खसरा गिरदावरी साथ लफ है) जिसके कारण जमाबन्दी वर्ष 1979-80 खसरा नं० 584 का रकबा 16 कनाल 8 मरले बारानी दर्ज है। जो कि यही इन्द्राज जमाबन्दी साल 1989-90 तक चला आ रहा है। इसके बाद जमाबन्दी 1994-95 में खसरा नं० 584 कुल रकबा 16 कनाल 8 मरले दर्ज है। जिसमें से 16 कनाल बारानी, 0 कनाल 8 मरले गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इसके पश्चात जमाबन्दी वर्ष 1999-2000 खसरा नं० 584/1 कुल रकबा 12 कनाल 10 मरले बारानी व खसरा नं० 584/3 0 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन दर्ज है। जो कि यही इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2019-20 तक चला आ रहा है। रिकार्ड खसरा गिरदावरी अनुसार खसरा नं० 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही हैं व खसरा नं० 584/3 रकबा 0 कनाल 19 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही है तथा खसरा नं० 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही हैं। (नकल खसरा गिरदावरी साथ लफ है)

राजस्व रिकार्ड व हाजिर व्यक्तियों द्वारा दिये गये ब्यान तथा हल्का पटवारी /कानूनगों रिपोर्ट को को मध्य नजर रखते हुये उक्त केस की जाँच पडताल करने उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि खसरा नं० 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले बारानी व खसरा नं० 584/3 रकबा 0 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन भूमि राजस्व रिकार्ड मौजा महम में दिनेश पुत्र सत्यदेव आदि की मलकियत दर्ज है व उक्त खसरा नं० की गिरदावरी महादेव पुत्र सालग मकबूजा व काश्त हिस्सेदार दर्ज है तथा खसरा नं० 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले गैरमुमकिन सडक जिसकी मलकियत हरियाणा सरकार व गिरदावरी मकबूजा महकमा P.W.D B&R के नाम दर्ज है। खसरा नं० 584 रकबा

Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

16 कनाल 8 मरले में मुताबिक खसारा गिरदावरी फसल खरीफ 1976 ता फसल रबी वर्ष 1980 तक रकबा काश्ता भूमि होने के कारण जमाबन्दी साल 1979-80 में गैर मुमकिन की बजाय बरानी दर्ज किया गया था, जो कि अब गिरदावरी फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 हाल तक किस्म गैर मुमकिन रकबा का इन्दाज दर्ज है। खसारा नम्बरान 584/1, 584/3 की मलकियत राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्ष 1909 ता हाल निजी मालकान के नाम दर्ज चली आ रही है और यह भूमि **Common Purpose Land** नहीं है। अतः जॉच-पडताल उपरान्त रिपोर्ट आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।


Sub-Divisional Officer (C)
Maham (Rohtak)
उपमण्डल अधिकारी (ना०),
महम।